सत्यमेव जयते

संख्या— /जी0एस0/शिक्षा/A4-39-1/2018

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 13 अगस्त, 2018

महोदय,

कृपया आपके पत्रांक–26396 दिनांक 16–02–2016, पत्रांक–369 दिनांक 22–02–2017, पत्रांक–1545 दिनांक 02–07–2018 एवं पत्रांक–1576 दिनांक 04–07–2018 के द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ–2 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर अनुमोदन निम्न शर्तो के अधीन प्रदान किया गया है:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट)		
		2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5
फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, 12 किमी0 माईल स्टोन, भगवानपुर–हरिद्वार हाईवे, ग्राम–इमली खेड़ा, धर्मपुर, रूड़की।	बी0टैक0:–			
	1. Civil Engg.	60	60	60
	2. Computer Science & Engg.	60	60	60
	3. Electrical & Electronics Engg.	120	120	90
	4. Electronics & Comm. Engg.	60	60	30
	5. Mechanical Engg.	120	120	90
	एम0बी0ए0	120	120	120

1. संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधपति जी को प्रस्तुत करेंगे।

4. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में नियामक संस्था/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

5. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः......2/–